हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

महेंद्रगढ़-123031

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

Mahendergarh-123031

सं॰: हकेंविवि/रा॰भा॰/ 27/285/2023

दिनांक/Date: 26/04/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) को सूचित किया जाता है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में **"मूल हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रोत्साहन योजना"** वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आगामी 01 मई, 2023 से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्यालयी कामकाज में मूल रुप से हिंदी में (नोटिंग व ड्राफ्टिंग) कार्य करने पर निम्नलिखित 10 पुरस्कारों की व्यवस्था है:

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार) : 5000/– रु. (पाँच हजार रुपए)
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार) : 3000/– रु. (तीन हजार रुपए)
तीसरा पुरस्कार (पाँच पुरस्कार) : 2000/– रु. (दो हजार रुपए)

उक्त योजना के विस्तृत नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

26/04/2023

हिंदी अधिकारी
(अतिरिक्त प्रभार)

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, योजना पर होने वाले खर्च के निर्धारण हेतु।
4. विभागाध्यक्ष/प्रभारी एवं प्रशासनिक अनुभाग के प्रमुख, हकेवि।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

राजभाषा अनुभाग

मूल हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रोत्साहन योजना 2023–24 के नियम व शर्तें

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी में मूल रूप से टिप्पण / आलेखन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध मूल **'हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रोत्साहन'** योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में नोटिंग व ड्रॉफ्टिंग जिसमें विभिन्न रजिस्टरों में प्रविष्टियां (एंट्रीज) आदि करना भी शामिल है। उक्त कार्य मूल रूप से हिंदी में करने पर कुछ नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य हिंदी में नोटिंग/ ड्रॉफ्टिंग के कार्य को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी विभाग के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्त कार्यालय में निम्नलिखित 10 पुरस्कारों की व्यवस्था है:–

1. **पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार) : 5000 /रु. (पांच हजार रूपए)**
2. **दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार) : 3000/रु. (तीन हजार रुपए)**
3. **तीसरा पुरस्कार (पांच पुरस्कार) : 2000/रु. (दो हजार रुपए)**

योजना की पात्रता की शर्तें:–

1. इस योजना में सभी श्रेणियों के नियमित अधिकारी/कर्मचारी (नियमित एवं प्रतिनियुक्ति पर) भाग ले सकते हैं जो सरकार काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं। इस योजना में ग्रुप 'घ' से ग्रुप 'ग' में आए ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय में नोटिंग / ड्रॉफ्टिंग कार्य न करते हों, भाग नहीं ले सकते।

2. इस योजना में 'क' व 'ख' राजभाषा क्षेत्र से संबंधित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा किसी वित्त वर्ष में कम से कम बीस हजार (20 हजार) हिंदी के शब्द सरकारी कामकाज में लिखे गए हों।

3. इस योजना में 'ग' राजभाषा क्षेत्र से संबंधित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा किसी वित्त वर्ष में कम से कम दस हजार (10 हजार) हिंदी के शब्द सरकारी कामकाज में लिखे गए हों।

4. इस योजना के अंतर्गत मूल टिप्पण व आलेखन नोटिंग–ड्राफ्टिंग के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे– रजिस्टर में इंदराज (एंट्री) करना, सूची तैयार करना, लेखा आदि का काम करना भी शामिल किए जाएंगे।

5. इस योजना में आशुलिपिक/टंकक जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6. राजभाषा अनुभाग में तैनात हिंदी अधिकारी/सहायक निदेशक और हिंदी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

राजभाषा अनुभाग

पुरस्कार के लिए मानदंडः–

1. मूल्यांकन के लिए कुल 100 अंक रखे गए हैं। इनमें 50 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए होंगे और शेष 50 अंक विचारों की स्पष्टता एवं लेखन –शैली के लिए होंगे।
2. जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, ओडिया, असमिया हो, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति के द्वारा किया जाएगा।
3. इस योजना के प्रतिभागी संलग्न प्रपत्र में हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा–जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे–जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर (कॉउंटर साइन) किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा–जोखा रखता है तो अधीनस्थ कर्मचारी को ऐसे काम का लेखा–जोखा रखने की आवश्यक नहीं होगा।
4. वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा–जोखा प्रति हस्ताक्षर (कॉउंटर साइन) करने वाले अधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालय के राजभाषा अनुभाग मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

मूल्यांकन समिति का निर्णयः–

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के निर्धारण के संबंध में गठित मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

मूल हिंदी व टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना (2023–24)

प्रपत्र (प्रोफॉर्मा)

डॉ. / श्री / श्रीमान / श्रीमती / कुमारी .....पदनाम.....द्वारा

माह.....2023–24 में किए गए हिंदी के काम की मासिक विवरणी

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया	हिंदी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन (नोटिंग / ड्राफ्टिंग) के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कामों का संक्षिप्त ब्यौरा	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (माह में एक बार)
1	2	3	4	5	6